

राजस्व लोक अदालत-2015

लोक अदालत के समक्ष
स्थान-जिला मुख्यालय टोंक

याची/वादी/परिवादी:- हनु पुत्र गुर अली जगि मुकलमान निकसी मालपुरा लह मालपुरा

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी:- लहसीलदार मालपुरा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की कार्यवाही संख्या:- 40/2015

उपस्थित:- श्री पवन कुमार जैन अभिभाषक अपीलांत/श्री मन्तर मालूम, राजकीय पैरीकार रेफो
अध्यक्ष का नाम:- श्री आनन्दी लाल वैष्णव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

सदस्य का नाम:- अभिभाषक श्री राजेन्द्र कुमार जाट

अधिनिर्णय

दिनांक 03/06/2015

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

अपीलांत द्वारा 20 दिवस में कब्जा छोड़ देने का अविष्य

में राजकीय गूमि घर से कब्जा नहीं करने का शपथपत्र

लहसीलदार मालपुरा के समक्ष प्रस्तुत करने की दिवसि में

शिबिल को न्याय की तजा को माफ किया जाता है, कब्जा

नहीं हटाने की स्थिति में लहसीलदार का निर्णय अद्यत रहेगा।

आर्धना पत्र स्वयं निरस्त किया जाता है।

Signature

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी 4A.

याची/वादी/परिवादी
Signature
पवन कुमार जैन
लहसीलदार

Signature
सदस्य

Signature
अध्यक्ष
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

